<u>राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राँची- 834006</u>

<u>छात्रावास आवेदन पत्र</u>

सत्रः-...............................

नाम - …………...

पिता का नाम -……………..................................

माता का नाम -……………....................................

अभिभावक मोबाइल नं - ……………....................

अनुक्रमांक - …………….....................................

पहचान चिह्नः-…………................................

मोबाईल सं०- …………..............................

WHATSAPP NO. - …………….......................

स्थायी पता -………...…………...…

…..…………..

पत्राचार का पता-…………..…………......................................…

………...…………..

उक्त सूचनाए पूर्णतः सत्य है। मैं छात्रावास के नियमों एवं निर्देशों को पढ़कर समझ लिया हैं। इसके पालन के लिए मैं उत्तरदायी हूँ।

अभिभावक का हस्ताक्षर.

विद्यार्थी का हस्ताक्षर

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राँची-834006

छात्रावासीय दिशा-निर्देश

1. छात्रावास या महाविद्यालय के परिसरों में मादक वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को मादक पदार्थ रखते या सेवन करते पाया जायेगा तो उसे तत्काल संस्थान से निष्कासित किया जायेगा।
2. किसी प्रशिक्षणार्थी का चरित्र व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर छात्रावास से निष्काषित किया जायेगा।
3. छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रशिक्षणार्थी कमरा और प्रदत सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकता है।
4. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी महाविद्यालय एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुँचायेगा तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
5. छात्रावास में किसी कमरे में स्टोव हीटर/गैस चुल्हा का प्रयोग करना निषिद्ध है। यदि किसी कमरे में स्टोव हीटर/गैस पाया गया तो प्रशिक्षिणार्थी को दंडित किया जायेगा और उसका स्टोव/हीटर/गैस चुल्हा जब्त किया जायेगा।
6. छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक प्रत्येक तल के नायकों की नियुक्ति करेगें। नायक अन्य प्रशिक्षार्थियों की सहायता से छात्रावास की देखभाल छात्रावास अधीक्षक के निर्देशानुसार करेगें।
7. छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि को निर्धारित समय (08:00 बजे से 09:00 बजे तक) पर छात्रावास अधीक्षक द्वारा उपस्थिति ली जायेगी।
8. छात्रों को छात्रावास के संबध में कोई शिकायत हो तो लिखिल रूप से छात्रावास अधीक्षक को दे।
9. प्रकोष्ठों में लगे उपकरणों के अलावा अन्य विद्युत उपकरण (तापक/हीटर आदि) का प्रयोग दंडनीय समझा जायेगा।

10 प्रत्येक रविवार को सभी छात्र छात्रावास परिसर की साफ सफाई करेगें।

11 कोई भी छात्र स्वयं के अतिरिक्त बाहर के किसी भी व्यक्ति को छात्रावास में अतिथि के रूप में नहीं रख सकता है।

12 यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक मित्र आदि आते है तो पहले उसकी सूचना छात्रावास अधीक्षक या छात्रावास प्रमुख को देनी होगी। अनुमति प्राप्त होने पर ही वह कमरे में प्रवेश कर पायेगें। अतिथियों से मिलने का समय प्रायः 8:00 बजे से 09:00 बजे तक एवं संध्याकालीन समय 04:30 से 05:30 बजे तक होगी। मिलने वाले व्यक्तियों का आगंतुक पंजिका में नाम, पता, मोबाईल नं०, समय लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे तथा जिनसे मिलना है उनका नाम भी लिखना होगा और उन्हें भी हस्ताक्षर करने होगें।

13 छात्रों का पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक तीन दिनों के लिए छात्रावास में रहने की अनुमति दी जायेगी। अति आवश्यक होने पर अधिक दिनों के लिए संस्थान के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह सुविधा भी दो अतिरिक्त दिनों से अधिक नहीं मिल पायेगी।

14 आवश्यकतानुसार छात्रावास में प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक किसी भी छात्र के कमरे का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं।

15 छात्रावास निःशुल्क है।

16 छात्रों को किसी भी अवांछित वस्तु/कार्य को छात्रावास रखने/करने की अनुमति नहीं है।

17 किसी प्राकृत्तिक प्रकोप के कारण हुई क्षति के लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है जो विद्यार्थी उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेगें उन्हें महाविद्यालय एवं छात्रावास से निष्काषित किया जा सकता है।

घोषणा पत्र

मैं ....का पुत्र ....घोषणा करता हूँ कि मैंने छात्रावास के नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं पूर्ण रूप से वचन देता हूँ कि छात्रावास के नियमों का पूर्णतया पालन करूँगा।

दिनांकः- ....

स्थानः- ....

अभिभावक का हस्ताक्षर
मो०नं०- ....

आवेदक का हस्ताक्षर
मो०नं०:- ....